



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4973/2006

याचिकाकर्ता : अंजोरदास

विरुद्ध

प्रत्यर्थागण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 28 फरवरी, 2008 को प्रस्तुत करें।



सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 4973/ 2006

याचिकाकर्ता:

अंजोरदास, आयु लगभग 35 वर्ष, आत्मज श्री प्रेमलाल सिरमौर, जाति सतनामी,
निवासी ग्राम जमरी, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थागण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, डी.के.एस. भवन,
रायपुर।
2. उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, राजनांदगांव (छ.ग.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत जमरी, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव।
5. कलेक्टर, राजनांदगांव।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका)

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

उपस्थिति:

- श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।



- श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 1, 2 एवं 5 की ओर से।
- प्रत्यर्थी क्रमांक 3 एवं 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

(आज दिनांक 28 फरवरी, 2008 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर वर्तमान याचिका में प्रत्यर्थी क्रमांक 4, सरपंच, ग्राम पंचायत जमरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.9.2006 (संलग्नक पी/6) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत जमरी, विकासखण्ड - डोंगरगढ़, जिला - राजनांदगांव के (सचिव) पंचायत कर्मी के पद से बर्खास्त कर दिया गया है।
2. निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 16.1.1999 (संलग्नक पी/1) द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) के रूप में नियुक्त किया गया था। कलेक्टर, राजनांदगांव ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगढ़ को एक पत्र दिनांक 28.10.2005 (संलग्नक पी/4) भेजा, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 13.10.2005 के प्रतिवेदन के आलोक में यह स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 21 परिवारों से शुष्क शौचालय निर्माण हेतु राशि एकत्रित की और उसका दुर्विनियोग किया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने और उसे सचिव के पद से हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।



3. तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा जारी एक कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24.2.2006 (संलग्नक पी/2) प्राप्त हुआ, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं और पंचायत पदाधिकारियों तथा ग्रामीणों के साथ दुर्यवहार के आरोप सिद्ध पाए गए हैं। याचिकाकर्ता से तीन दिनों की अवधि के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 69(1) के तहत याचिकाकर्ता की सचिव के पद पर नियुक्ति को क्यों न रद्द कर दिया जाए।
4. उपरोक्त कारण बताओ सूचना दिनांक 24.2.2006 के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 7.3.2006 (संलग्नक पी/3) को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया।
5. जनपद पंचायत, डोंगरगढ़ द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 14.5.2006 और समाज कल्याण विभाग, राजनांदगांव द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 29.4.2006 के उत्तर में, दिनांक 1.6.2006 को ग्राम पंचायत के साथ-साथ ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई गई और याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी एवं पंचायत सचिव के पद से हटाने का संकल्प (संलग्नक पी/5) पारित किया गया। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 - सरपंच, ग्राम पंचायत, जमरी द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 2.9.2006 (संलग्नक पी/6) पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को (सचिव) पंचायत कर्मी के पद से हटा दिया गया।





6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि कारण बताओ सूचना दिनांक 24.2.2006 (संलग्नक पी/2) जारी करने से पूर्व और मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की गई कथित जांच के संबंध में याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायत के बारे में सूचित नहीं किया गया था। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता को 21 परिवारों से राशि की वसूली और दुर्विनियोग के आरोप तथा कथित जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.10.2005 के बारे में जानकारी नहीं थी, जैसा कि पत्र दिनांक 28.10.2005 (संलग्नक पी/4) में उल्लेखित है। याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में एक जांच में गंभीर आरोप सिद्ध पाए गए थे। प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने से पहले और उसके पश्चात प्रतिवेदन पर कार्रवाई किए जाने से पहले याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। तीन दिन का समय देना जब याचिकाकर्ता को सचिव के पद से हटाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, प्रत्येक आरोप पर अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त और उचित नहीं था, जो प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा सूचना दिनांक 24.2.2006 (संलग्नक पी/2) जारी करने से पूर्व ही सिद्ध पाए जा चुके थे।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 (संक्षेप में 'नियम, 1999') का नियम 7 पंचायत के सदस्य की सेवा समाप्त करने से पूर्व की प्रक्रिया का उपबंध



करता है। वर्तमान प्रकरण में, उक्त उपबंधों का पालन नहीं किया गया, कोई निश्चित आरोप विरचित नहीं किए गए और याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति की ओर ले जाने वाली जांच आयोजित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र तामील नहीं कराया गया था।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि सेवा समाप्ति का आदेश इस आरोप के आधार पर पारित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितताएं और दुर्यवहार किया था। आदेश कलंककारी है और सेवा से हटाया जाना 'दीर्घ शास्ति' के दायरे में आता है, इसे नियम 1999 के नियम 7 में यथाविहित विधि के उपबंधों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता था।

9. नोटिस की तामील के बावजूद, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगढ़ और प्रत्यर्थी क्रमांक 4 सरपंच, ग्राम पंचायत जमरी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ ने कार्यवाही में उपस्थित न होने का विकल्प चुना है।

10. प्रत्यर्थी क्रमांक 1, 2 एवं 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यू.एन.एस. देव ने स्पष्ट रूप से यह तर्क दिया कि दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नियम 1999 के नियम 7 में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को दिनांक 16.1.1999 को नियुक्त किया गया था और विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, संबंधित ग्राम पंचायत और ग्राम



सभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर याचिकाकर्ता को दिनांक 2.9.2006 को हटा दिया गया है, जो विधिक रूप से टिकने योग्य नहीं है।

11. स्वीकार्य रूप से, ग्राम पंचायत ने आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश पारित करने से पूर्व नियम 1999 के नियम 7 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है। इस न्यायालय ने **ढालूराम कोसुरिया विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य¹**, **बीगन राम विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य²** और **प्रकाश चंद सोनी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य³** में यह अभिनिर्धारित किया है कि वैधानिक उपबंधों का अनुपालन न करना और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन न केवल नियम 1999 के नियम 7 के उपबंधों के उल्लंघन के समान है, अपितु भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के उपबंधों के उल्लंघन के भी समान है। सेवा से हटाए जाने का आदेश दंडात्मक प्रकृति का होने के कारण, जिसके सिविल परिणाम होते हैं, नियम 1999 के नियम 7 में यथाविहित विस्तृत उपबंधों के अनुसार जांच आयोजित किए बिना पारित नहीं किया जा सकता है।

12. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व विधि के वैधानिक उपबंधों का पालन नहीं किया है।

13. पिछले वेतन के प्रश्न पर, यह तथ्य स्थापित करने के लिए कोई आधार नहीं रखा गया है कि याचिकाकर्ता इस अवधि के दौरान कहीं और लाभकारी रूप

1 2006 (2) C.G.L.J. 186

2 2006 L.T. (C.G.) 41

3 2005 L.T.(C.G.) 151



से नियोजित था या नहीं। अन्यथा भी, यह ध्यान में रखते हुए कि सेवा समाप्ति का आदेश गुण-दोष के आधार पर नहीं अपितु याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने से पूर्व वैधानिक उपबंधों के अनुपालन न होने के कारण दोषपूर्ण हुआ है न्याय के हित में 30% पिछला वेतन पर्याप्त होगा।

14. उपरोक्त के आलोक में, याचिका स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश दिनांक 2.9.2006 (संलग्नक पी/6) को अपास्त किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

